प्र.सं 30/17 उ.अ/ ५५- 2017/00064

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मुख्यालय तसीमों)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–30 / 2017

मुन्नी पत्नी पप्पू जाति कुशवाह निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

————वादी

बनाम

1–पप्पू पुत्रश्री गोकुल 2–दयाल पुत्रश्री गोकुल 3–बैजन्ती पत्नी गोकुल 4–नारायन पुत्रश्री बैंगी 5–माया पुत्री बैंगी 6–रामकली पत्नी शिवदत्त समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ
7–भारतीय स्टेट बैंक शाखा तसीमों
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

..........प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री रामअवतार गौड एडवोकेट – वादिया

निर्णय **दिनांक :19.6.2017**

वादिया की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खसरा 1880, 1959, 3197 / 1881 स्थित ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा सभी पक्षकार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है । अब प्रतिवादीगण काश्त करने पर झगडा करते है, वादी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहते है वादी ने उनसे काफी समझाईश की तथा बटवारा कराने को कहा तो इंकारी हो गये । इसलिए वादी को बटबारा कराना आवश्यक हो गया । वादी विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स बटबारा कराने के अधिकारी है । अन्त में वादी ने विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स बटवारा कर पृथक से खाता कायम कराने की प्रार्थना की है ।

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ जिला–धौलपुर (राज0)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण बाबजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकपक्षीकय कार्यवाही अमल में लाई गई । वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । विद्वान अभिभाषक वादी ने मुताबिक रिकार्ड बटवारा किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली पर

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपलब्ध नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण विवादित आराजी के सहखातेदार है । ऐसी स्थिति में हम दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री कर विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड बटंवारा किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा 1880, 1959, 3197/1881 स्थित ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। पर्चा प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.6.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्डाधिकारी सैपऊ
उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ......तसीमों......

ड अधिकारी सैपऊ ... (राज०)

डिक्री व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या–30/2017

व इजलास : विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

मुन्नी पत्नी पप्पू जाति कुशवाह निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

———————वादी

बनाम

1–पप्पू पुत्रश्री गोकुल 2–दयाल पुत्रश्री गोकुल 3–बैजन्ती पत्नी गोकुल 4–नारायन पुत्रश्री बैंगी 5–माया पुत्री बैंगी 6–रामकली पत्नी शिवदत्त समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ
7–भारतीय स्टेट बैंक शाखा तसीमों
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

..........प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं
स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ विनोद कुमार मीना (आर0ए0एस0) व हाजिरी मिनजानिव मुद्दई श्री रामअवतार गौड एडवोकेट मिनजानिव मुद्दायलह श्री .... पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा 1880, 1959, 3197/1881 स्थित ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.6.2017 को जारी की गई ।

(विनोद कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
उप खण्डाधिकारी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत सैपऊ ....

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
जिला–धौलपुर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र तसीमों)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–30/2017

मुन्नी पत्नी पप्पू जाति कुशवाह निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

————वादी

बनाम

1–पप्पू पुत्रश्री गोकुल 2–दयाल पुत्रश्री गोकुल 3–बैजन्ती पत्नी गोकुल 4–नारायन पुत्रश्री बैंगी 5–माया पुत्री बैंगी 6–रामकली पत्नी शिवदत्त समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ
7–भारतीय स्टेट बैंक शाखा तसीमों
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

..........प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री रामअवतार गौड एडवोकेट – वादिया

निर्णय दिनांक :06.06.2018

वादिया की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा 1880, 1959, 3197/1881 स्थित ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ का वास्ते बटबारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 19.06.2017 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा तसीमो कैम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का वादिया के अभिभाषक को अवलोकन कराया। दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन आदेशानुसार ही तैयार कर भिजवाये है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के हिस्से अनुसार ही हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादिया मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–बैजन्ती पत्नी व दयाल पुत्र गोकुलहि0 1/3 जाति कुशवाह निवासी तसीमो राहिन एसवीआई शाखा तसीमो मुर्तहन व पप्पू पुत्र गोकुल हि. 2/3 जाति कुश्वाह निवासी तसीमो राहिन हि0 1/6 पप्पू एस.वी.आई. शाखा तसीमो

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1959/1	0–06 उत्तर
योग	1	0–06

2–नारायन पुत्र बैगी व माया पुत्री बैगी हि. बराबर कौम काछी निवासी तसीमो राहिन नारायन हि. 1/2 व माया हि. 1/6 राहिन एस.वी.आई. तसीमो

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1880	0–18
	1959/2	0–06 दक्षिण
योग	2	1–04

3–रामकली पत्नी शिवदत्त जाति काछी निवासी तसीमो तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	3197/1881/1	0–02 पश्चिम
योग	1	0–02

4–मुन्नी पत्नी पप्पू जाति कुशवाह निवासी तसीमो तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	3197/1881/2	0–03 पूर्व
योग	1	0–03

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने

पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
अटल सेवा केन्द्र तसीमो